Teacher : Dr. Megha Pandey

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र : समानताएँ एवं असमानताएँ

सार्वजनिक क्षेत्र में समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ एवं लक्षण पाए जाते हैं। इसमें उत्पादनों के साधनों पर समाज का अधिकार तथा आमदनी का समान वितरण नियंत्रण, जन उत्तरदायित्व, कल्याणकारी लक्ष्य, राष्ट्रीकरण का बहुत महत्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य प्रमुख विशेषताएँ है :–

A) आर्थिक क्रियाएँ निजी लाभ के बजाय सामाजिक लाभ हेतू संचालित होती हैं।

B) पूंजीपतियों एवं श्रमिकों के दो वर्गों के बजाय वर्गरहित समाज रचा जाता है।

C) संसाधनों के समुचित वितरण का उद्धेश्य होता है।

D) व्यापारिक कुचक्रों बाजार के उतार चढाव पर नियंत्रण रखा जाता है।

E) विभिन्न तरह की समाजिक सेवाएँ सुनिश्चित की जाती हैं।

वह उपक्रम जो सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करते हैं लोक उपक्रम एवं वे उपक्रम जो निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं निजी उपक्रम कहलाते हैं। इन दोनों तरह के उपक्रमों में मुख्य अंतर इस प्रकार है :–

क्रं.	लोक उपक्रम	निजी उपक्रम
1.	समाजवादी समाज में लोकहितों में संसाधनों को वितरित करने में सहायक है।	पूंजीवादी समाज में व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतू बनते है।
2.	लाभ कमाना प्रमुख उद्धेश्य नहीं है।	मूलतः लाभ कमाने के लिए स्थापित होते हैं।
3.	पूंजी एवं प्रबंध व्यवस्था सरकार करती है।	पूंजी एवं प्रबंध व्यवस्था निजी हाथों में रहती है।
4.	जनता के प्रति उत्तरदायी रहते है।	जनता के प्रति बहुत कम उत्तरदायी होते है।
5.	सरकार की नीतियॉ कानून तथा नियम बहुत प्रभाव डालते है।	सरकार की नीतियों कानूनों एवं नियमों से कम प्रभावित होते है।
6.	कार्य प्रणाली में गोपनीयता नहीं बरती जाती है।	कार्य प्रणाली में बहुत अधिक गोपनीयता बरती जाती है।
7.	अंकेक्षण कार्य चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट के साथ साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी करता है।	केवल चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट ही अंकेक्षण कार्य करता है।
8.	लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रमों समिति	ये समितियाँ निजी क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं करती

	नियंत्रण रखती है।	है।
9.	स्वायत्त होते हुए भी गंभीर एवं नीतिगत निर्णय प्रबंधक नहीं ले पाते हैं।	इनके प्रबंधक शीघ्र निर्णय लेने में स्वतंत्र होते है।
10.	कठोर कार्य प्रणाली, पूँजी– प्रधानता तथा अकार्यकुशलता रहती है।	लोचशीलता परिणाम प्रधानता तथा कार्य कुशलता रहती है।
11.	लम्बे समय तक घाटे में रह सकते हैं।	घाटे में आने पर शीघ्र बन्द हो जाते हैं।
12.	शेयर बाजार, राष्ट्रीय अंर्तराष्ट्रीय घटनाओं, व्यापारिक दबावों, आर्थिक मंदी आदि से कम प्रभावित होते है।	अधिक एवं प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते है।
13.	कुछ क्षेत्रों में इनका एकाधिकार पाया जाता है।	निजी क्षेत्रों का एकाधिकार न के बराबर रहता है।
14.	राज्य के आदर्श नियोक्ता होने का समाजिक दायित्व निभाते है।	इनका समाजिक दायित्व बहुत कम रहता है।
15.	विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया तथा आमजन की आलोचना के शिकार हो सकते है।	अधिकतर इन्हें संबंधित उपभोक्ता वर्ग की आलोचना सहनी पडती है।
16.	इनके उत्पादों सेवाओं के विज्ञापन कम एवं नैतिकता के दायरे में होते है।	इनके द्वारा विज्ञापन कला का अत्याधिक प्रयोग किया जाता है तथा नैतिकता की सीमा भी लॉघ जाते है।
17.	लोक उपक्रमों की स्थापना भारी तथा जोखिम भरे क्षेत्रों में की जाती है।	तुलनात्मक रूप से कम जोखिम भरे क्षेत्र में स्थापित होते है।
18.	राजनितिक आधार पर स्थापना हो जाती है जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप बना रहता है।	राजनीतिक आधार पर स्थापना नही होने के कारण राजनीतिक हस्तक्षेप न के बराबर रहता है।
19.	सरकारी मशीनरी (नौकरशाही) की बुराईयों से प्रभावित होते है :– लालफीताशाही, भ्रष्टाचार आदि	ये क्षेत्र इस तरह की बुराईयों से लगभग मुक्त होते है।

समानताएँ :–

मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण एवं विशेषताएँ सम्मिलित रहती है, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बीच की दूरी को कम किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था ही इसका एक अच्छा उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाने के कारण भारत में औद्योगिक, व्यापारिक, कृषि एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में सरकार तथा निजी उपक्रमों दोनों का हस्तक्षेप है। वस्तुतः लोक

उपक्रमों की स्थापना निजी उपक्रमों के विकल्प के रूप में की गई थी, क्योंकि, निजी क्षेत्र की लाभ कमाने की प्रवृत्ति तथा व्यक्तिगत स्वार्थ लोक कल्याणकारी राज्य के उद्धेश्यों की प्राप्ति में बाधक बनते हैं, लेकिन वर्तमान सदी में लोक उपक्रमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निजी उपक्रमों के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि 'पूरक' के रूप में कार्य करें। पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के शब्दों में ''निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य विवाद अनावश्यक है। हर क्षेत्र को राष्ट्र के विकास हेतू यथासम्भव प्रयत्न करते रहना चाहिए।'' जहाँ एक ओर निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के मध्य बहुत सी असामानताएँ हैं वहीं दूसरी ओर इन दोनों के मध्य सामानताएँ भी काफी है तथा भविष्य में इनमें असमानताएँ और कम होगी। भारत में ही नवीन आर्थिक नीति के बाद तेज परिवर्तन के दौर में दोनों क्षेत्र कई मामलों में एक दूसरे के निकट आए हैं, कुछ क्षेत्रों में किन्हीं समान आधारों पर एक–दूसरे के प्रतिस्पर्धी बने हैं। दोनों क्षेत्रों में समानता के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं :–

1. दोनों ही क्षेत्रों के उद्यम एक निश्चित संगठनात्मक ढाँचें के रूप में गठित होते हैं तथा व्यवस्थापिका–कार्यपालिका द्वारा निर्धारित कानून सम्मत गठन के लिये बाध्य होते हैं।
2. दोनों क्षेत्र कार्मिक प्रशासन एवं प्रबंधन की गतिविधियों से प्रभावति होते हैं। पदसोपान, भर्ती–नियम, भर्ती–प्रक्रिया, पदोन्नती, स्थानांतरण आदि गतिविधियाँ दोनों क्षेत्र के उपक्रमों में पाई जाती हैं।
3. दोनों क्षेत्रों में प्रबंधकीय क्रियाकलापों और प्रबंधकों को लगभग समान महत्व है। नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, निर्देशन गतिविधियाँ दोनो ही तरह के उपक्रमों में संचालित है।
4. दोनों ही क्षेत्रों में बजटीय कार्य संपादित किया जाता है। इसके लिये वित्तीय केन्द्रीकरण को अपनाया जाता है।
5. दोनों ही क्षेत्रों में अंकेक्षण कार्य का महत्व है। यद्यपि सार्वजनिक उपक्रमों का अंकेक्षण CAG के द्वारा किया जाता है ओर निजी उपक्रमों का व्यवसायिक CA के द्वारा फिर भी दोनों ही तरह के उपक्रम आंतरिक अंकेक्षण अपने स्तर पर करवाते है ताकि वित्तीय नियंत्रण सुचारू रूप से हो सकें ।
6. दोनों ही उपक्रम शेयर बाजार में अपने शेयर उतारते हैं और बाजार की गतिविधियों से कम–ज्यादा प्रभावित भी होते है।
7. दोनों क्षेत्रों में कार्यरत उपक्रमों में उच्चतर स्तर पर प्रबंधन हेतू निदेशक मण्डल होता है जो प्रबंधकीय नियंत्रण बनाये रखता है।

उपरोक्त समानताएँ उद्यमों के तकनिकी पक्ष को रेखांकित करती हैं। इसके अलावा नवीन आर्थिक नीति के फलस्वरूप एवं विकास की गति को बढ़ानें के लिए दोनों ही क्षेत्र के उद्यमों ने एक दूसरे के विशेष गुणों को अपनाना प्रारंभ कर दिया है। जैसे –

- सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम उपभोक्ता–उन्मुखी एवं लाभ–उनमुखी हो रहे हैं। कई लोक उद्यम निजी उद्यमों की तरह करोड़ों के लाभ के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहे हैं।

- निजी क्षेत्र के उ़द्यम सार्वजनिक उद्यम /लोक उद्यम उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ा रहे हैं।
- निजी क्षेत्र के उद्यम लोक उद्यम की तरह लोक कल्याणकारी कार्यों में संलग्न हो रहे हैं।
- लोक उद्यम निजी उद्यम की तरह अपने उत्पादों एवं सेवाओं के प्रचार के लिये विज्ञापन एवं मीडिया को सहारा ले रहे है।

निजी क्षेत्र में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताऍ एवं लक्षण पाए जाते हैं। इसमें उत्पादनों के साधनों पर निजी स्वामित्व तथा साधनों का स्वतन्त्र उपभोग होता है। इसमें उत्पादन में निजी लाभ, अधिक मौद्रिक लाभ, उपभोक्ता–उनमुखी उत्पादन तथा प्रतिस्पर्द्धा का वातावरण रहता है। निजी क्षेत्र की अन्य प्रमुख विशेषताएँ हैं :–

a. श्रमिक तथा मालिक दोनों ही उद्यम की स्वतन्त्रता रखते हैं।
b. निजी सम्पत्ति की रक्षा करने हेतू सरकारी व्यवस्था रहती है।
c. लोचशीलता, उद्यमशीलता पाई जाती है।
d. व्यक्तिगत पहल, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को महत्व दिया जाता है।
e. तीव्र आर्थिक एवं तकनीकी विकास, उच्च स्तरीय टिकाऊ उत्पादन एवं सेवाऍ संभव हो पाती है।

धीरे धीरे दोनों क्षेत्रों में बढ़ रही है समानताओं के कारण ही निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों, प्रबंधकों, प्रशासकों द्वारा एक–दूसरे के उद्यमों में पलायन संभव हो पाता है। साथ ही दोनों क्षेत्र के वरिष्ठ प्रबंधक एक–दूसरे निदेशक मण्डल में जगह ले पाते हैं।

विश्वभर में निजीकरण के बढ़ते दायरे तथा उदारीकरण की आवश्यकताओं ने सरकार को लचीली तथा नव प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए विवश किया है। बहुत से विद्धान यह भी मानते हैं कि निजी एवं लोक उपक्रमों के मध्य अंतर केवल संगठनों के आकार, दायित्वों, तथा कार्यशैली को लेकर है। वह भी केवल मात्रात्मक अंतर है। इसलिए बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर के नाम से भी पहचाना जाता है।

अन्ततः सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में घटती असमानताएँ, बढ़ती समानताएँ एवं नियंत्रित निकटता स्वागत योग्य है।

लोक उपक्रम अर्थ एवं परिभाषाएं

(Public Enterprises : Meaning and Definitions)

लोक उपक्रमों (Public Enterprises : Meaning and Definitions) को सार्वजनिक उपक्रम या उद्यम, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम या उद्यम, राष्ट्रीयकृत उद्योग, राजकीय उपक्रम या उद्यम इत्यादि नामों से भी पुकारा जाता है। लोक उपक्रम वे सरकारी संगठन या संस्थान होते हैं जो सरकार के सामान्य विभागों से

प्रथक प्रकृति के हैं। सरकार द्वारा वस्तु उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन, वित्तीय लेन–देन तथा अन्य व्यापारिक गतिविधियों से संलग्न संगठन लोक उपक्रम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जब सरकार व्यापारिक, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या अन्य विशिष्ट सेवाओं का संचालन करती है तब ऐसे संगठन स्थापित करती है जो सरकारी तंत्र के मूल ढांचे से पृथक रहकर स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य संपादित करते हैं तो वे लोक उपक्रम कहलाते हैं। इस कार्य प्रणाली को 'पब्लिक सेक्टर' (Public Sector) नाम से भी पुकारा जाता है।

ए.एच. हेनसन के अनुसार – ''लोक उपक्रमों से आशय सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अंतर्गत चलाए जाने वाले औद्योगिक, कृषि, वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थानों से है।''

एन.एन. माल्या के अनुसार – ''लोक उपक्रम से अभिप्राय सरकारी स्वामित्व में स्थापित तथा नियंत्रित ऐसी स्वायत्तशासी या अर्द्ध स्वायत्तशासी कंपनियों तथा निगमों से है जो औद्योगिक तथा वाणिज्य क्रियाओं से संलग्न है।''

लोकसभा सचिवालय के दस्तावेजों के अनुसार – ''लोक उपक्रम से अर्थ ऐसे संगठन से जिसका व्यक्तित्व कानून द्वारा निर्धारित हो और जिसकी स्थापना हुई स्थापन संविधि या उसके किसी प्रावधान के अधीन सरकार की ओर से किसी औद्योगिक, व्यापारिक या आर्थिक प्रतिष्ठान या विशेष सेवा का अधिग्रहण लोकहित में किया गया हो तथा एक बड़ी मात्रा में उसे वित्तीय प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त हो।''

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में दी गई परिभाषा के अनुसार – ''लोक उपक्रमों से आशय ऐसे उपकरणों से है जिन पर केंद्रीय, प्रांतीय या स्थानीय सरकार का स्वामित्व होता है। यह उपक्रम कीमत के बदले में वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति करते हैं और अधिकांशतः स्वयं समर्थित आधार पर संचालित किए जाते हैं।''

एस.एस. खेरा के अनुसार – ''लोक उपक्रमों से तात्पर्य उन औद्योगिक, वाणित्जिय तथा आर्थिक क्रियाओं से है जिन्हें केंद्रीय या प्रांतीय या केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों सरकार संयुक्त रूप से चलाती है।''

राय चौधरी तथा चक्रवर्ती के शब्दों में – ''राजकीय उपक्रम व्यवसाय का एक ऐसा स्वरुप है जो सरकार के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है तथा सरकार या तो स्वयं उसकी एकमात्र स्वामी होती है या अधिकांश अपने पास रखती है।''

उपयुक्त परिभाषा ओं के आधार पर कहा जा सकता है कि लोक उपक्रमों की निम्नांकित विशेषताएं होती है –

1. यह सरकार के ऐसे होते हैं जो –
   - या तो सरकार की पूंजी से संचालित होते हैं या कुल पूंजी में सरकार का हिस्सा सर्वाधिक होता है।
   - या सरकार के किसी विधान द्वारा स्थापित किए जाते हैं।
   - या सरकार के नियंत्रण निर्देशन में कार्य करते हैं।

- या इनका स्वामित्व या प्रबंधन का संचालन राज्याधीन होता है। कहा जाता है कि प्रबंध स्वामित्व का अनुचर है सामान्यतः स्वामी ही संस्था का प्रबंधन करता है।

2. इनका कार्य क्षेत्र व्यापारिक, वाणिज्यक, वित्तीय, कृषि, औद्योगिक या आर्थिक प्रकृति से संबंद्ध होता है।
3. ये अपने दैनन्दिन प्रशासनिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं।
4. इनको वित्तीय कार्य संचालन की अधिकांश मामलों में स्वायत्तता प्राप्त होती है।
5. ये उद्योग व्यापारिक प्रकृति के होते हुए भी मूलतः लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किए जाते हैं बल्कि जनहित में सरकार के दायित्वों का निर्वहन करते हैं।
6. इनकी कार्य प्रकृति में 'प्रशासकीय तत्वों' के बजाय 'प्रबंधकीय तत्वों' का अधिक समावेश रहता है।
7. लोक उपक्रमों का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक माना जाता है जिसमें व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक दोनों प्रकृति के उपक्रम सम्मिलित हो जाते हैं सरकार का स्वामित्व पूंजी या प्रबंधन ही इन उपक्रमों की मुख्य विशेषता सिद्ध होती है।
8. सरकार की आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन करने के क्रम में लोक उपक्रम महत्वपूर्ण उपकरण या माध्यम माने जाते हैं।
9. पहले लोक उपक्रमों की स्थापना निजी क्षेत्र के विकल्प के रूप में की जाती थी किंतु अब लोक उपक्रम, निजी उपक्रमों के पूरक बनते जा रहे हैं।
10. लोक उपक्रमों का गठन विभागीय, कंपनी, नियम या स्वायत्तशासी बोर्ड के रूप में किया जाता है। कुछ लोग उपक्रम नियंत्रण मंडल, न्यास, परिचालनात्मक अनुबंध, संयुक्त क्षेत्र या सूत्रधारी कंपनी के रूप में भी गठित एवं संचालित होते हैं।
11. कुछ क्षेत्रों में स्थापित लोक उपक्रम ऐसे भी होते हैं जिनका एकाधिकार बना रहता है। जैसे–रक्षा, परमाणु तथा अंतरिक्ष इत्यादि क्षेत्र।
12. इन उपक्रमों पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जनता, मीडिया तथा अन्य दबाव समूह का नियंत्रण पाया जाता है।
13. यह उपक्रम अपने पत्राचार एवं अन्य अवसरों पर नाम के साथ कोष्टक में यह भी लिखते हैं– 'भारत सरकार का एक उपक्रम' (राज्य सरकार के मामले में राज्य का नाम होता है तथा संयुक्त उपक्रम की स्थिति में तत्सम्बन्धी विवरण दिया जाता है।)

लोक उपक्रमों का विकास (Evolution of Public Enterprises in India)

विश्व भर में लोक उपक्रमों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी प्राचीन 'राज्य' नामक संस्था है। राज्य की उत्पत्ति के साथ ही सुरक्षा, मुद्रा तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने महत्व योग अपने हाथों में लिए होंगे। यद्यपि प्राचीन काल तथा मध्यकाल में लोक उपक्रमों का स्वरूप एवं प्रबंधन आप जैसा नहीं रहा होगा। आधुनिक किस्म के लोक उपक्रम 19वीं सदी की देन हैं जब औद्योगिक क्रांति के पश्चात आर्थिक क्रियाओं में राज्य ने हाथ बांटना शुरू किया। 20वीं सदी मैं विश्व के सभी देशों में लोक उपक्रमों का तेजी से विकास एवं प्रसार हुआ। ऐतिहासिक साक्ष्यों से सिद्ध होता है कि रोमन साम्राज्य में भी लोक उपक्रम विद्यमान थे।

प्राचीन भारत में लोक उपक्रमों के संबंध में सर्वाधिक जानकारी **कौटिल्य के ग्रंथ 'अर्थशास्त्र'** में उपलब्ध होती है यद्यपि 'रामायण' तथा 'महाभारत' के ऐतिहासिक संदर्भ भी स्पष्ट करते हैं कि महाकाव्य काल में राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी था जिसमें राज्य के नियंत्रण के माध्यम से व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जाती थी तथापि अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन की व्यापक विवेचना होती है तथापि यहां भी लोक उपक्रमों का उल्लेख मिलता है।

'आइने अकबरी' में अबुल फजल ने लिखा है कि – ''सौ से भी अधिक यह (लोक उपक्रम) कार्यालय तथा कारखाने अपने आप में एक शहर या छोटी मोटी राजधानी जैस लगते थे।''

भारत में लोक उपक्रम के विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है

1 **स्वतंत्रता से पूर्व सरकारी उद्यम** – प्राचीनकाल से ही राज्यों का संसाधनों पर नियंत्रण रहा है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व भले ही सार्वजनिक क्षेत्र का स्वरूप वर्तमान के समान नही था फिर भी थोड़ा बहुत सार्वजनिक क्षेत्र का स्वरूप दिखायी देता था। 1766 में लार्ड क्लाइव ने Post – Telegraph जैसी सरकारी उद्यम सेवाएँ प्रारम्भ की थी।

सन् 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित 'मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफिस' से लोक उपक्रमों की शुरुआत मानी जा सकती है। इसके पश्चात सन 1837 में डाक विभाग की नींव रखी गई तथा 1839 में टेलीग्राफ सेवाओं के रूप में सरकारी उपक्रमों की स्थापना हुई। सन् 1853 में बंम्बई तथा ठाणे के मध्य देश की प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई तथा शीघ्र ही रेलवे भारत का सबसे बड़ा लोक उपक्रम बन गया जो आज तक इस रिकॉर्ड को बनाए हुए। सन 1857 की क्रांति के पश्चात सन 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ तथा भारतीय शासन सीधे ब्रिटिश ताज के दिन हो गया। सन्ा 1901 में बनी **रॉबर्टसन समिति** की अनुशंसा ओं पर 1905 में 'रेलवे बोर्ड' की स्थापना की गई।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत सरकार को तीव्र औद्योगीकरण की आवश्यकता अनुभव हुई। अतः सन् 1916 में औद्योगिक विकास की संभावनाओं का पता लगाने हेतु 'औद्योगिक आयोग' का गठन किया गया। आयोग ने सुझाया था कि सरकार को औद्योगिक विकास में प्रत्यक्ष तथा सक्रिय सहयोग देना चाहिए तथा ऐसे आधारभूत उद्योगों का विकास करना चाहिए जो कि समग्र अर्थव्यवस्था को सम्बल प्रदान कर सके। सरकार ने आयोग की अनुशंसा पर कम ध्यान दिया। सन् 1919 में सैन्य सेवाओं के हथियारों के निर्माण हेतु 'सैन्य अस्त्र–शस्त्र बोर्ड' स्थापित किया गया। वस्त्र, चमड़े के सामान, मुद्रा, रसायन तथा अन्य भारी उद्योग भी सरकार ने स्थापित किए। सन् 1930 में 'ऑल इंडिया रेडिया' को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। सरकार के बढ़ते वित्तीय कार्यों को देखते हुए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव आया अतः सन 1921 में तीन प्रेसिडेंन्सियों (बम्बई, कोलकाता, मद्रास) के बैंकों का सम्मेलन (एकीकरण) करते हुए 'इंपीरियल बैंक ऑफ़ इंडिया' की स्थापना हुई जो अब 'स्टेट बैंक आफ इंडिया' कहलाता है। एम्पीरियल बैंक सरकार के महाजन बैंक का कार्य करने वाला वाणिज्यिक बैंक था तथा नोट जारी करने का कार्य सरकारी करती थी। सन् 1926 में **हिल्टन यंग आयोग** ने एक अन्य केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। अतः 'रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934' के माध्यम से 1 अप्रैल, 1935 को 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' की स्थापना हुई। प्रथम एवं द्वितीय विश्वयुद्ध के बीच के काल में भारत में 'सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस', नासिक, 'गन एंड शेल फैक्ट्री', काशीपुर (बंगाल), 'गार्डनरीच वर्कशॉप', कोलकाता 'मझगांव डॉक लिमिटेड', बम्बई, 'सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी', आंध्र प्रदेश (1920) इत्यादि स्थापित हो चुकी थी।

सन् 1924 में उत्तर प्रदेश में 'इंडियन बॉबिन कंपनी' तथा 'इंडियन टरपण्टाईन एंड लॉस इन कंपनी', सन् 1973 में मैसूर में 'मैसूर शुगर कंपनी' तथा 1937 में 'निजाम शुगर फैक्ट्री' की स्थापना लोक उपक्रमों के रूप में की गई। इससे पूर्व संघ 1935 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से देश के प्रथम सार्वजनिक निगम के रूप में 'रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया' की स्थापना हुई। सन् 1934 से 1946 के मध्य आर्थिक नियोजन के संबंध में प्रांतीय उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन, सर एम. विश्वेश्वरैया के प्रस्ताव, कांग्रेस की राष्ट्रीय नियोजन समिति, मुंबई योजना, जन योजना तथा गांधीवादी योजना इत्यादि के माध्यम से उद्योगों में सरकारी भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया। स्वतंत्रता से पूर्व देश में 'गंगानगर शुगर मिल्स', 'रेडियो एंड इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी', 'पैंट्स एंड मिनरल्स लिमिटेड', 'असम टेंनरीज लिमिटेड', 'केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड' तथा अन्य लोगों की स्थापना हो चुकी थी।

2 स्वतंत्रता के पश्चात् सरकारी उद्यम –

स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात लोक उपक्रमों की तेजी से स्थापना होने लगी।

स्वतंत्रता के पश्चात 1948 की औद्योगिक नीति में सरकारी उद्यमों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। देश के पिछडे हुए स्थानों का आर्थिक विकास करने तथा देश की गोपनीयता बनाये रखने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि देश के आधारभूत उद्योगों का संचालन व नियंत्रण सरकारी क्षेत्र में होगा।

देश में लोक उपक्रमों का विकास दो स्वरूप में तय किया गया है –

- सरकार की औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत
- पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत

7 जुलाई, 1948 को 'दामोदर घाटी निगम' (DVC) की स्थापना हुई जिससे स्वतंत्र भारत का प्रथम सार्वजनिक निगम का सकते हैं। केंद्र द्वारा 'विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948' पारित करने पर राज्यों में तेजी से विद्युत मंडल स्थापित हुए। इसी वर्ष 'इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज' की स्थापना हुई जिसे भारत सरकार ने सन 1950 में लोक उपक्रम घोषित किया। 1 जनवरी, 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व कर्मचारी राज्य बीमा, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, औद्योगिक वित्त निगम, नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स (नेपानगर) की स्थापना की जा चुकी थी। सन् 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1950 में योजना आयोग की स्थापना के पश्चात भारत में नियोजित विकास की प्रक्रिया शुरू हुई तथा इसी क्रम में लोक उपक्रमों की विविध क्षेत्रों में तेजी से स्थापना होने लगी। इस समय देश में भारत सरकार के 5 लोक उपक्रम थे जिनमें 29 करोड रुपए की पूंजी लगी हुई थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि देश में सर्वांगीण सामाजिक आर्थिक–विकास में राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है ताकि नागरिकों का जीवन स्तर उच्च स्तर का बन सके। अतः इस अवधि में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड, (ICICI) सिंदरी खाद कारखाना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, नाहन फाउंड लिमिटेड, हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री लिमिटेड, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स (HMT), एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा अशोका होटल इत्यादि लोक स्थापित हुए। योजना के अंत में लोक उपक्रमों की संख्या 21 हो चुकी थी जिनमें 81 करोड़ का विनियोजन था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) इस योजना काल में राज्य व्यापार निगम, भारतीय निर्यात साख गारण्टी निगम लिमिटेड, (ECGC), सिक्किम माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय परियोजना निगम लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (अब कंपनी) हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, होटल जनपथ, ट्रावणकोर मिनरल्स लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड, नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, भारतीय हस्तकला विकास निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, इंडियन रिफाईनरीज लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा हिंदुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई। 1 सितंबर 1956 को भारतीय राज्य बीमा निगम (LIC) का राष्ट्रीयकरण किया गया। सन् 1934 में बनी गार्डनरीच शिवबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड नामक संयुक्त कंपनी को 1960 में भारत सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। योजना के अंत में 47 लोगों में भारत सरकार ने 948 करोड रुपए विनियोजित थे।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) इस अवधि मैं भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड, भारतीय औषधि एवं फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCOP), हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, भारतीय खनिज धातु व्यापार निगम लिमिटेड, ल्युब्रीजोल इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI), मद्रास रिफायनरी लिमिटेड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UIT), राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, भारतीय खाद्य निगम, बोकारो स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, सेंट्रल रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, सांभर साल्ट्स लिमिटेड तथा हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इत्यादि की स्थापना हुई। योजना के अंत में देश में कुल 73 लोक उपक्रम थे जिनमें 2410 करोड़ की पूंजी लगी हुई थी।

सन् 1966–76 के दौरान तीन वार्षिक योजनाओं के काल में लोक उपक्रमों की स्थापना का कार्य निरंतर जारी रहा। इस अवधि में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, सेंट्रल इनलैंण्ड वॉटर कारपोरेशन लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, द नेशनल टैक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मशीन टूल्स कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। 1969 तक देश में 84 लोक स्थापित हो चुके थे जिसमें 3897 रुपए का करोड़ का नियोजन था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74) इस योजना काल में 19 जुलाई, 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। नवंबर 1972 में साधारण बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा इसकी 'सामान्य बीमा निगम' (GIC), नामक सरकारी कंपनी बनाई गई और 1 जनवरी, 1973 से देश में काम कर रही 107 देशी एवं विदेशी बीमा कंपनियों को जी.आई.सी. की चार प्रमुख सहायक कंपनियों–नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी

लिमिटेड में विभक्त कर दिया गया। इसी योजनावधि में सन 1973 में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस योजना काल में स्थापित हुए प्रमुख लोक उपक्रमों में जल विद्युत परामर्श सेवा (भारत) लिमिटेड (वापकोस) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, आई.बी.पी. (इंडो बर्मा पैट्रोलियम) लिमिटेड (पहले भारतीय तेल निगम की सहायक कंपनी थी। 1972 में स्वतंत्र उपक्रम बनी) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (HUDCO), भारतीय कपास निगम, भारतीय काजू निगम, हिंदुस्तान पेपर निगम लिमिटेड, भारतीय चाय व्यापार निगम, इंडियन आप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड, भारत पंप एंड कंप्रेशर लिमिटेड तथा इंडियन डेयरी कारपोरेशन इत्यादि उल्लेखनीय है। योजना के अंत तक देश में कुल 122 लोक उपक्रम स्थापित हो चुके थे जिसमें 6237 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई थी।

स्वतत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रेल 1948 को तत्कालीन केन्द्रीय उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्पष्ट क्षेत्रों का बंटवारा करने वाली इस पहली औद्योगिक नीति के द्वारा ही देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था (Mixd & controlled Economy) की नींव रखी गई थी। बाद में समाजवादी ढंग के समाज (socialistic pattern of socity)) की स्थापना के उद्धेश्य से 1948 की औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए दूसरी औद्योगिक नीति घोषणा 30 अप्रेल 1956 को की गई। बाद में समय–समय पर नई औद्योगिक नीतियों की घोषणा केन्द्र सरकार द्वारा की गई जिनका मुख्य आधार 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव ही रहा।

लोक उद्यमों में वित्त :–

सरकारी अंश

लोक उपक्रम ऐसे उद्यम होते हैं जो या तो सरकार की पूंजी से संचालित होते हैं या कुल पूंजी में सरकार का हिस्सा सर्वाधिक होता है। इस तरह सरकार इन उपक्रमों के वित्त का सबसे बड़ा स्त्रोत होता है। सरकार इन उपक्रमों की अंश पूंजी में सम्मिलित होती है तथा बजटीय सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही सरकार सरकारी ऋण की सहायता से लोक उद्यम को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।

शेयर बाजार

किसी उपक्रम/उद्यम के 'इक्विटी शेयर' को आम बोलचाल की भाषा में 'शेयर' कहते हैं यह किसी उपक्रम में व्यक्ति के स्वामित्व का प्रमाण होता है। व्यक्ति के पास उपक्रम के जितने ज्यादा शेयर होंगे उसका उस उपक्रम पर स्वामित्व उतना ही अधिक होता है। किसी उपक्रम के शेयर होने का प्रमाण 'शेयर सर्टिफिकेट'

नाम के दस्तावेज के रूप में व्यक्ति के पास रहता है। आजकल यह शेयर आमतौर पर डिमैटेरियलाइज्ड (Dematerialised) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में National Securities Depository Ltd. (NSDL) के किसी Depository या न्यासधारी सदस्य संस्थान जैसे बैंक, ब्रोकर, वित्तीय संस्थान आदि के पास रखे जाते हैं। किंतु व्यक्ति यदि चाहे तो अभी भी Share को Physical Form अर्थात Share Certifacate के रूप में रख सकते हैं जिस पर उनका नाम अंकित होता है एवं जो कंपनी उनके अंश/भागीदारी और स्वामित्व का प्रमाण होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी कंपनी या उपक्रम के शेयरों को खरीदा जाता है तो इसका अर्थ है कंपनी के स्वामित्व में हिस्सा खरीदना।

लोक उपक्रम आम जनता से धन पाने हेतु अंश पत्र (Share) जारी करते हैं, इससे उसे निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं :–

(i) उपक्रम के पूंजीगत संसाधन बढ़ते हैं।

(ii) जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति नियंत्रित होती है।

(iii) उपक्रम की लाभ हानि में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है।

उपक्रम एक तय मूल्य पर अशं पत्र/शेयर जारी करते हैं जो शेयर की Face Value या 'पार वैल्यू' होती है एवं मूल्य शेयर Certificate पर स्पष्ट अंकित होता है। भारतीय कंपनियों के अधिकतर शेयरों के Face Value रु10 होती है। पर कुछ कंपनियां रु 10 का शेयर रु 5, रु 2 व रु 1 तक के शेयरों में भी विभाजित कर देती है। शेयरों पर लगाए गए धन पर दो प्रकार का लाभ मिलता है –

1. मूलधन की वृद्धि
2. लाभांश/Dividents

शेयर चल संपत्ति (Morable propeity) होते हैं, जिन्हें खरीदना, बेचना, भेंट स्वरूप देना, वसीयत के जरिए देना अथवा कानूनी तरीकों से किसी को सौंपना संभव होता है।

वर्तमान में कई प्रकार के शेयर प्रचलित है – जैसे

1. Preference Share – Cumutatuive P.S. – Reedemable P.S.
2. Equity Share
3. Bonus Share
4. Rights Share

शेयर बाजार :– जहां विभिन्न लोक उपक्रमों के अंश पत्र/Share खरीदे व बेचे जाते हैं उसे शेयर बाजार कहते हैं। प्रारंभ में शेयर बाजार काफी अव्यवस्थित रूप में थे किंतु अब यह व्यवस्थित, पंजीकृत एवं नियमानुसार तथा संगठनात्मक स्वरूप में कार्य कर रहे हैं।

इन्हें सामान्य तौर पर स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है क्योंकि यह शेयरों एवं प्रतिभूतियों (Securities) की क्रय – विक्रय के लिए बना बाजार है इसलिए इसे स्टॉक मार्केट या स्टॉक बाजार भी कहते हैं। अन्य बाजारों की तरह सीधे स्टॉक बाजार में जाकर शेयर खरीद या बेच नहीं सकते बल्कि स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के अनुसार सारा कारोबार एक्सचेंज के अधिकृत दलालों के माध्यम से ही करना पड़ता है। इन्हें Stock Broker या Share Broker कहते हैं इनके पास Stock Exchange की सदस्यता का लाइसेंस होता है। इन्हें किए गए कारोबार के मूल्य का लाभांश 2.5 प्रतिशत कमीशन (Brokerage/Commissim) कमीशन मिलता है।

हर देश के अपने शहर बाजार कार्यरत है। भारत में भी कुछ शेयर बाजार कार्यरत हैं किंतु व्यवहारिक रूप से दो ही राष्ट्र–व्यापी या राष्ट्रीय स्तर के Stock Exchange है–

1. राष्ट्रीय शेयर बाजार National Stock Exchange
2. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay/Mumbai Stock Exchange

शेयर बाजार सूचकांक – इसका मुख्य उद्देश्य होता है बाजार में शेयरों के भाव की समग्र स्थिति व झुकाव को आंकना। सूचकांक एक मापन यंत्र के जैसा है जो बाजार के व्यापक व्यवहार का जायजा लेता है। सूचकांक मूलतः उन चुनिंदा शेयरों का औसत होता है जो लगभग पूरे शेयर बाजार का प्रतिनिधित्व करते हैं। BSE का सेंसिटिव इंडेक्स जिसे सेंसेक्स (Sensex) भी कहा जाता है, भारत का सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सूचकांक है। इसका गठन 1986 में किया गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक है S&P CNX सूचकांक, जिसे अधिकतर (Nifty) के नाम से जाना जाता है। यह NSE का सूचकांक है।

शेयर बाजार के किसी भी सूचकांक से शेयरों के दाम का उतार.चढ़ाव आंका जाता है।

NSE

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 फेरवानी समिति (Pherwani Committee) ने की थी। 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) को एक एक्सचेंज की स्थापना का कार्य सौंपा। (IDBI) ही NSE का प्रमुख प्रवर्तक (Promoter) है। (NSE) की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी ₹ 25 करोड रूपये है। यह इक्विटी शेयर, ऋण पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बॉण्ड एवं सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार करता है। इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई में वर्ली में है। Nifty इसका शेयर सूचकांक है जिसमें लगभग 20 अलग अलग क्षेत्रों के 50 शेयर शामिल है। NSE पर होने वाले कुल कारोबार का 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत कारोबार निफ़्टी शेयरों में ही होता है।

BSE-

इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। एशिया का सबसे पुराना मुंबई स्टॉक एक्सचेंज 19 अगस्त 2005 से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गया है। 2002 में इसमें वर्तमान में 4800 से भी अधिक

भारतीय कंपनियां पंजीकृत है। अक्टूबर 2007 में यह दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का 10 वें नंबर का Stock Exchange बन गया है। BSE का Sensitive Index, जिसे Sensex भी कहा जाता है, भारत का सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सूचकांक है। इसका गठन 1986 में किया गया था। Sensex का मूल वर्ष (Base Year) 1978–79 रखा गया। उस वर्ष में Sensex का मूल्य 100 मान लिया गया। Sensex में 30 शेयर स्टॉक होते हैं, जिनका चयन उनके दैनिक कारोबार के आधार पर होता है। इसलिए शेयरों के दाम में किसी भी बदलाव से Sensex बहुत जल्दी प्रभावित होता है। वर्तमान में Sensex घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। इसकी संरचना वैश्विक रूप से स्वीकृत संगठनात्मक मूल्यों एवं प्रविधियों के अनुसार की गई है। 1 सितंबर 2003 से Sensex ने, मुक्त बाजार पूंजीकरण आधार प्रणाली (Free Float Market Capitalisation- Weighted) के आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इस प्रणाली के आधार पर ही दुनिया के अधिकतर शेयर सूचकांक कार्य कर रहे हैं। BSE Index समिति हर 3 महीने में नियमित बैठक का इंडेक्स संबंधित मुद्दे पर विचार विमर्श करती है। 12 दिसंबर 2006 से तत्कालीन भारतीय वित्त मंत्री के बजट भाषण अनुसार SEBI ने BSE को भारतीय कॉरपोरेट ऋण बाजार (Indian Corporate Debt Market) संचालित करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। BSE ने इस कार्य के लिए एक प्लेटफार्म तैयार किया है जो इंटरनेट के माध्यम से कार्य कर रहा है जिसे आईसीडीएम कहते हैं

वर्तमान लोक उद्यम की स्थिति

वर्तमान में निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु सरकार ने नवरत्न, मिनी रत्न और अन्य लाभ कमाने वाले केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (CPSES) को अधिक वित्तीय एवं प्रचलनात्मक अधिकार प्रत्यायोजित किए हैं। जुलाई 1997 में सरकार ने 9 केंद्रीय उपक्रमों को नवरत्न के रूप में चिन्हित किया था। इसके बाद इनकी संख्या में वृद्धि होती गई। अक्टूबर 2008 तक इनकी संख्या बढ़कर 18 हो गई। इन नवरत्न कंपनियों के नाम इस प्रकार है –

1. भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)
2. हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL)
3. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL)
4. राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC)
5. भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (GAIL)
6. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL)
7. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NALCO)
8. नेशनल एलुमिनम कंपनी (NALCO)
9. भारतीय नौवहन निगम (SCI)

10. भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL)
11. भारतीय तेल निगम (IOC)
12. तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)
13. भारती इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (SAIL)
14. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)
15. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL)
16. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC)
17. पावर फाइनेंस कारपोरेशन (PFC)
18. कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)

नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो जाने से इन कंपनियों को ज्यादा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता मिलती है। यह कंपनियां सरकार की अनुमति के बगैर देश या विदेश में संयुक्त उद्यम लगा सकती है एवं उन्हें कंपनी नेटवर्थ के 15 प्रतिशत तक निवेश कर सकती है। इन कंपनियों के निदेशक बोर्ड को अधिग्रहण एवं विलय संबंधी निर्णय लेने का अधिकार होता है। नवरत्न कंपनियों की संख्या में हो रही तीव्र वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में अब ज्यादा अच्छे निष्पादन वाली चुनिंदा नवरत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। महारत्न कंपनियों को और अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। नवरत्न कंपनियों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ही जहां 1000 करोड़ रुपए तक निवेश की स्वायत्तता प्राप्त है, वही महारत्न कंपनियों के लिए यह सीमा ₹ 5000 करोड रुपए होगी। विदेशों में अनुषंगी इकाई की स्थापना के अतिरिक्त अधिग्रहण एवं विलयों के मामले में भी अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां प्राप्त होगी। सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र की 6 कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने की संस्तुति की है वे है – ONGC, IOC, BHEL, BSNL, NTPC & SAIL.

मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त लोक उद्यम

1. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
2. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स ऑल इंडिया लिमिटेड
3. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
4. हिंदुस्तान कारपोरेशन लिमिटेड
5. इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं पर्यटन निगम लिमिटेड
6. मिश्र धातु निगम लिमिटेड
7. नेशनल हाइड्रोलिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड
8. सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड

31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे।

नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान लोक उपक्रमों के निजीकरण तथा बंद करने का दौर तेजी से चला। भारत सरकार ने 10 दिसंबर, 1999 को **विनिवेश विभाग** की स्थापना की ताकि लोक उपक्रमों के विनिवेश (Disinvestment) कार्य को प्रगति प्रदान की जा सके। वाजपेई सरकार ने अरुण जेटली को प्रथम विनिवेश मंत्री बनाया। बाद में अरुण शौरी ने यह पद ग्रहण किया। वर्ष 1999–2001 के बीच सरकार ने अनेक लोक उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया जिसमें हिंदुस्तान वेजिटेबल आयल कारपोरेशन, नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन, माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉरपोरेशन, वेबर्ड इंडिया, टेनरी एंड फुटवीयर कारपोरेशन, भारत प्रोसेस इंजिनियर्स लिमिटेड, रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा ई.टी. एंड टी. प्रमुख है। जिन लोक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी घटाने तथा निजी क्षेत्र को बेचने का निर्णय किया गया उनमें भारत ब्रेक्स एंड वाल्वज् लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान इंसेंटिसाइड्स लिमिटेड, राज्य व्यापार निगम, स्पंज आयरन लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, होटल अशोक रांची, होटल अशोक उत्कल, बाल्को, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, भारत लैदर हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान लेटेक्स इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, आई.बी.पी.लि. लिमिटेड, भारत पर्यटन विकास निगम, नेशनल फर्टिलाइजर्स, मद्रास फर्टिलाइजर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स, हिंदुस्तान केबल तथा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड प्रमुख है। सन 2000 में मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज का निजीकरण इस दौर का प्रथम उल्लेखनीय कदम था। 21 फरवरी 2001 को बाल्को (भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड) निजी क्षेत्र के उद्यम स्टारलाइट समूह को 800 करोड रुपए (51 प्रतिशत हिस्सेदारी) में बेची जा चुकी है। बाल्कों में 49 प्रतिशत हिस्सा सरकार का है। अप्रैल, 2003 में देश में 242 लोक उपक्रम कार्यरत थे जिसमें 6 निर्माणाधीन थे। इन केंद्रीय उपक्रम में 2,80,000 करोड रुपयों की पूंजी लगी हुई थी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के अधीन लगभग 1100 लोक उपक्रमों में 50 हजार करोड़ रुपयों की पूंजी लगी हुई है।

लोक उपक्रमों की आवश्यकता एवं महत्व

(Need and Importance of Public Enterprises)

किसी भी देश में उपलब्ध भौतिक, मानवीय एवं तकनीकी संसाधनों का समुचित उपयोग एवं वितरण सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य से नीतियां प्रतिपादित करे जो जनसाधारण के कल्याण एवं विकास को गति देते हुए सामाजिक–आर्थिक न्याय की स्थापना भी कर सके। इसी संदर्भ में भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र में लोक उपक्रम स्थापित किए गए हैं। इन उपक्रमों की स्थापना तथा महत्त्व के क्रम में निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं –

1. **सामाजिक समाजवादी समाज की स्थापना**

स्वतंत्रता के पश्चात परिवर्तित हुए लोक कल्याणकारी एवं प्रशासकीय की संरचना में सरकार उद्यमों का स्थान सुनिश्चित हुआ क्योंकि सामाजिक–आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व बना रहे। समाजवादी समाज की अवधारणा को सरकार द्वारा अंगीकार किया गया जिसमें पूंजी एवं संसाधनों का न्यायोचित वितरण एक आवश्यक शर्त है। वर्तमान में 'अहस्तक्षेपवादी राज्य' की अवधारणा पूर्णतया दम तोड़ चुकी है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य की भूमिका उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है। आर्थिक तथा समानता की प्राप्ति सहित शोषण एवं एकाधिकार से मुक्ति समाजवाद का मुख्य लक्ष्य है जिससे लोक उपक्रमों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

2. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार का नियंत्रण

लोहा, खनिज, कोयला वस्त्र तथा आम उपभोक्ता की वस्तुएं इत्यादि उद्योगों के अधीन की जा सकती है किंतु रक्षा उपकरण, आणविक संयंत्र, वित्तीय एवं मौद्रिक उत्पादन, गोपनीय दस्तावेज एवं प्रतिभूति, बहुमूल्य धातु तथा अन्य गंभीर तकनीकी प्रकृति के उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक है। यदि सुरक्षा, अस्त्र–शस्त्र तथा मुद्रा इत्यादि के उद्योग निजी हाथों में संचालित हो तो किसी भी समय राष्ट्र के समक्ष संकट उत्पन्न हो सकता है। यदि गंभीर तथा राष्ट्रीय महत्व के उद्यम सरकार संचालित करे तो ना केवल इन पर सरकार का नियंत्रण रहता है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी उचित दिशा एवं गति दी जा सकती है।

3. राजनीतिक कार्यक्रमों के पर्याय

विश्व भर में कार्यरत विभिन्न मान्यताओं वाले राजनीतिक दलों ने सरकारी उद्योगों को निरंतर प्रश्रय प्रदान किया है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी, फ्रांस कम्युनिस्ट पार्टी तथा भारत की कांग्रेस पार्टी एवं वामपंथी विचारधारा की अन्य पार्टियां अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम लोक उपक्रमों के माध्यम से पूरे करती रही है। वस्तुतः भारत, फ्रांस या ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि अमेरिका जिसे पूंजीवादी देश में भी लोक उपक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए उनका राष्ट्रीयकरण करना एक सहज माध्यम है। इसी प्रकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नवीन अविष्कारों को सरकार अपने उपक्रमों के माध्यम से जनोपयोगी बनाना चाहती हैं।

4. राज्य की विनियोग क्षमता

ऐसे उद्योग जिनमें एक साथ विपुल मात्रा में पूंजी तथा अन्य संसाधनों के विनियोग की आवश्यकता है में निजी क्षेत्र सरलता से कदम नहीं रख सकता जबकि सरकार की क्षमताएं असीमित तथा व्यापक होती है। अतः लोक महत्व की बड़ी एवं बहुउद्धेशीय परियोजना एवं उनसे संबंधित उद्योगों की स्थापना में सरकार ही आ जाती है। कतिपय उद्योग इस प्रकार के भी होते हैं जिनमें लाभ का अंश कम रहता है तथा जोखिम तथा हानि का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। स्वाभाविक रूप से निजी उद्यमी इनसे बचना चाहेंगे। जनहित को देखते हुए बहुधा सरकार को हानि देने वाले उद्योग भी स्थापित करने पड़ते हैं। भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा जैसे विशाल भू–भाग वाले देश में रेलवे का विकास सरकारी प्रयासों से ही संभव हुआ है। इसी

प्रकार कृषि, ग्राम विकास, सहकारिता, पशुपालन, कुटीर उद्योग, समाज कल्याण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, भारी उद्योग, परिवहन, संचार, ऊर्जा तथा खनन कार्यों में सरकारी उद्यम अधिक उपयुक्त रहते हैं।

5. राज्य के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि

यद्यपि लोक उपक्रमों की स्थापना लाभ कमाने के प्राथमिक उद्देश्य को लेकर नहीं की जाती है बल्कि राज्य के माध्यम से अपने दायित्वों की पूर्ति करता है तथापि लोक उपक्रमों के द्वारा नागरिकों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है तथा कुशल प्रबंधन के द्वारा लाभ भी कमाया जा सकता है। अधिकांश विकसित देशों के लोक उपक्रम सरकार को प्रतिवर्ष वित्तीय लाभ प्रदान करते हैं। इस लाभ को सरकार अन्य नये उपक्रमों एवं सामाजिक सेवाओं में भी नियोजित करती है। सरकार ऐसे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करती है जहां कोई निजी उद्यमी कतराता है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था का 'क्षेत्रीय असंतुलन' भी दूर किया जा सकता है तथा प्रादेशिक पिछड़ेपन को भी कम किया जा सकता है।

6. कीमत नियंत्रण तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

उत्पादन के क्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप, स्वस्थ औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इसी प्रकार विशिष्ट सेवाओं, वस्तुओं, तथा उत्पादन पर कीमत को नियंत्रित करने में भी लोक उपक्रम अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। निजी उद्यमों का एकमेव उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जबकि सरकारी उद्योगों का उद्देश्य जनहित में सस्ती तथा कुशल सेवाएं प्रदान करना होता है। आयात–निर्यात तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां भी लोक उपक्रमों द्वारा संचालित की जा सकती है।

7. आर्थिक नियोजन एवं राष्ट्रीय विकास

आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण, संसाधनों का समुचित वितरण, सदुपयोग तथा उनमें सम्मान समयानुकूल वृद्धि, पूंजी बाजार पर नियंत्रण, आय वितरण में समानता तथा विकास के संपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए सरकारी उपक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए लोक उपक्रम अनिवार्य माने जाते हैं। इसलिए **प्रो. ए.एच. हेन्सन कहते हैं–** ''सार्वजनिक उद्योग नियोजन के बिना सफल हो सकते हैं किंतु नियोजन सार्वजनिक उद्योगों के बिना सफल नहीं हो सकता है'' इन उपक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं तथा श्रमिकों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने सामाजिक सेवाओं को जन–जन तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय विकास के विशद् लक्ष्यों की प्राप्ति में लोक उपक्रम महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। निर्यात में वृद्धि करने, लघु एवं कुटीर उद्योगों को विकसित करने, औद्योगिक विकास दर को उच्च बनाने, निजी क्षेत्र को कमियों या दोषों से मुक्ति पाने तथा आम उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए लोक उपक्रम स्थापित किए जाते हैं। **वैगनर के नियम** (Wagner's Law) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार की गति अर्थव्यवस्था से अधिक होती है।

———————————